न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम उपखण्ड अधिकारी ओसियॉ

पीठासीनी अधिकारी :– रतनलाल रेगर

राजस्व अपील सख्या 02/2018

अपीलाण्ट :–

पेमाराम पुत्र श्री देवाराम जाति जाट निवासी ग्रम पुनासर तहसील ओसियॉ जिला जोधपुर

बनाम

रेस्पोडेटगण :–

1. सुखाराम पुत्र श्री मानाराम जाति जाट निवासी ग्राम पुनासर तहसील ओसियॉ जिला जोधपुर
2. ग्राम पंचायत पुनासर जरिये सरपंच ग्रम पचायत पुनासर तहसील ओसियॉ जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बनाराजगी नामान्तरकरण सख्या 1387 जो ग्रम पंचायत पुनासर द्वारा दिनॉक 20.06.2010 को जारी किया गया था।

उपस्थिति :–

अपीलाण्ट की ओर से :– अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार मदेरणा

रेस्पोडेट सख्या 01 :– स्वय उपस्थित

रेस्पोडेट सख्या 02 :– बावजूद तामिल अनुपस्थित

–::निर्णय ::–

अपीलाण्ट की ओर से उक्त अपील इस आशय की पेश की कि अपीलाण्ट व अन्य सहखातेदारो की खातेदारी भूमि नवसृजित तहसील बापिणी के राजस्व ग्राम पुनासर पीथासर के खसरा सख्या 993 रकबा 58 बीघा 14 बिश्वा भूमि आयी हुई थी। उक्त खसरान की भूमि की चालू जमाबन्दी की प्रति पेश है। उक्त खसरान की भूमि में

सहायक कलेक्टर, ओसियॉ

Scanned by CamScanner

अपीलाण्ट व अपीलाण्ट की माता श्री रम्भा देवी सयुक्त रूप से 1/3 हिस्से के खातेदार थे जिसमें अपीलाण्ट का 1/3 हिस्से में से 1/2 हिस्सा यानि सम्पूर्ण भूमि में से 1/6 हिस्सा था। अपीलाण्ट ने अपने खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा सख्या 993 रकबा 58 बीघा 14 बिश्वा भूमि में से अपने 1/6 हिस्से में से 4/27 वॉ हिस्सा यानि सम्पूर्ण भूमि में 02/81 वॉ हिस्सा जिसका प्रभावित रकबा 01 बीघा 09 बिश्वा भूमि का बेचान रेस्पोडेट सख्या 01 को जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा के दिनॉक 23.06.2010 को कर दिया । उक्त बेचाननामा के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण सख्या 1387 अधिनस्त न्यायालय रेस्पोडेट सख्या 02 के द्वारा दिनॉक 30.06.2018 को स्वीकृत किया गया। उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकार करते समय रेस्पोडेट सख्या 01 का सम्पूर्ण भूमि में से अलग से हिस्सा 4/27 दर्ज कर दिया व अपीलाण्ट का हिस्सा 3/162 दर्ज कर दिया जबकि उक्त खसरान की भूमि में अपीलाण्ट का 23/162 वॉ हिस्सा है, तथा रेस्पोडेट सख्या 01 का सम्पूर्ण भूमि में 02/81 वॉ हिस्सा है। इस प्रकार से राजस्व कर्मचारियो द्वारा बेचाननामा के विरूद्व नामान्तरकरण भरकर अधिनस्त न्यायालय के समक्ष पेश किया जिसे अधिनस्त न्यायालय द्वारा विधिविरूद्व तरीके से स्वीकृत किया जिसको निरस्त करने बाबत आधार पेश किये कि

यह है कि अपीलाधीन नामान्तरणकरण स्वीकार करते समय राजस्व कर्मचारियो के द्वारा विकय विलेख की सही जॉच नही की गयी तथा न ही विधिनुसार हिस्सा निकालकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। अपीलाधीन नामान्तरणकरण स्वीकार करते समय अपीलाण्ट को किसी भी प्रकार की कोई सूचना नही दी गयी थी यदि अपीलाधीन नामान्तरणकरण को दर्ज करते समय यदि अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाता तो अपीलाण्ट पूर्ण रूप से विकय विलेख में अकित हिस्से के अनुरूप ही अपना हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाते लेकिन अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में व सुनवाई का अवसर दिये बिना व विकय विलेख की जॉच किये बिना अपीलाधीन नामान्तरणकरण पारित किया है। जो काबिल ए निरस्त के है। अपीलाधीन नामान्तरणकरण स्वीकृत करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया अधीनस्त न्यायालय अपीलाधीन नामान्तरणकरण स्वीकृत करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई हेतु कोई नोटिस भी जारी नही किये गये जबकि विधि अनुसार अपीलाण्ट उपरोक्त विवादग्रस्त खेत खसरा में बेचान के पश्चात शेष 23/162 वॉ हिस्सा रहता है। जिस पर आज भी अपीलाण्ट काबिज काश्त है व खातेदारी हक अधिकार प्राप्त है। अन्त में ईस्तदुआ चाही किः अपील अपीलाण्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जावे, एव नामान्तरणकरण सख्या 1387 दिनाक 30.06.2010 ग्राम पंचायत पुनासर द्वारा स्वीकार किया गया था को निरस्त फरमाया जावें ,तथा

Scanned by CamScanner

विक्रय विलेख दिनॉक 23.06.210 के अनुसार रेस्पोडेट का हिस्सा निकालकर व अपीलाण्ट का वास्तविक हिस्सा निकाल कर विधि अनुसार पुन हिस्सा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज करने का आदेश सादिर फरमावे।

अपील के समर्थन में शपथपत्र भी पेश किया गया तथा अपील को अन्दर म्याद सुमार करने बाबत धारा 05 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया । तत्पश्चात अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेसगण को जरिये नोटिस तलब किया गया रेस्पोडेट सख्या 01 स्वय उपस्थित हुआ व अपीलाण्ट के तथ्यो को स्वीकार किया व अपील को स्वीकार किये जाने की ईस्दुआ चाही । प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो पर मनन किया गया । जिसके आधार पर धारा 05 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर म्याद सुमार किया जाता है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन से पाया गया कि अपीलाधीन् नामान्तरकरण स्वीकार करते समय विक्रय के पश्चात जो शेष अपीलाण्ट का हिस्सा 23/162 रहता है। जो दर्ज नही किया गया त्रुटिवश 03/162 हिस्सा दर्ज कर दिया गया जो विधिविरूद्व है। लिहाजा यह अपील स्वीकार योग्य है।

आदेश

अत अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण सख्या 1387 जो ग्रम पंचायत पुनासर द्वारा दिनॉक 20.06.2010 को जारी किया गया था को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार बापिणी को आदेश दिया जाता है कि विक्रय विलेख दिनॉक 23.06.2010 की जॉच कर वास्तविक हिस्सा निकालकर अपीलाण्ट का वास्तविक हिस्सा पुन राजस्व रेकर्ड में दर्ज करावे।

रतनलाल रेगर (आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर ओसियॉ

निर्णय आज दिनॉक 30/11/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रतनलाल रेगर (आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर ओसियॉ

Scanned by CamScanner